।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर ।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no- 01372—252175

पत्रांक 1800 / 12—1 , गोपेश्वर, दिनांक 1750 26/11/ 2018 ।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर, चमोली। 1C वन 04-12-18

विषयः— **जनपद चमोली के अन्तर्गत सोनला कण्डारा से कांचुला गैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भः— **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या—1077 / FP/UK/ROAD/10925/2015 दिनांक 18—10—2018**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/229/2015/एफ0सी0/1420 दिनांक 12.10.2018 से कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है, सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुसार धनराशि हेतु मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा हैः—

1. शर्त सं0—01 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित भूमि के बदले 8.00 है0 ग्राम—ग्वाड़ सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2017—18 हेतु धनराशि रू0 278665.00 प्रति है0 की दर से कुल देय धनराशि रू0 22,29,320.00 (रू0बाईस लाख उन्नतीस हजार तीन सौ बीस) मात्र जमा की जानी है।
2. शर्त सं0—02 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु देय धनराशि रू 35,88,000.00(रू पैंतीस लाख अठ्ठासी हजार) मात्र जमा की जानी है।

ईको क्लास	ईको क्लास	धनराशि	है0	देय धनराशि (लाख में) कॉलम(3 X 4)
1	2	3	4	5
VI	Dense Forest	8,97,000.00	4.00	35,88,000.00

3. शर्त सं0—03 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन वद्वता प्रस्तुत करनी होगी।
4. शर्त सं0 04 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 01 व शर्त 02 में देय धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जायेगी, तत्पश्चात सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन अख्या संलग्नकों सहित ऑनलाईन अपलोड करें, जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑनलाईन/हार्ड कॉपी में प्रेषित करें।
5. शर्त सं0—05 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात जहा—जहा संभव हो सड़क के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की वचनबद्वता प्रेषित की जायेगी।
6. State Govt. shall submit original/attested copy of complete proposal and upload revised geo-referenced digital map of proposed road at para C(iv) online Part I.

अतः आप भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में उपरोक्त अधिरोपित शर्तो की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए ऑन लाईन भी अपलोड करने का कष्ट करें। ताकि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः— / दिनांकित।

प्रतिलिपिः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

LAE
R No. 1750/1C वन Dt 04-12-18
छाया प्रति सहायक अभियन्ता (चतुर्थ) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
छाया प्रति अमीन को

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

अधि0 अभि0
4.12-18